न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा (बुलन्दशहर)।

सत्रवाद सं०- 39/2024

UPBU130002552024

सरकार बनाम अमित।

दिनांक:- 24.11.2025

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र का०सं० 14A अंतर्गत धारा 358(1) BNSS हेतु नियत है। अभियोजन पक्ष को प्रार्थना पत्र 14A पर पूर्व में सुना जा चुका है।

अभियोजन/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 14A अंतर्गत धारा 358(1) BNSS इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद का वादी है। उसने घटना की बाबत एफ.आई.आर. थाना खुर्जा देहात पर पंजीकृत करायी थी, जिसमें उसके द्वारा घटना में सम्मिलित छत्रपाल पुत्र रामभूल निवासी ग्राम मांछीपुर थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर को भी नामित कराया था, जिसमें मुकदमे के विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त से साज कर अभियुक्त छत्रपाल का नाम निकाल दिया। क्योंकि घटना में अभियुक्त अमित के साथ छत्रपाल भी सम्मिलित था, जिसके संबंध में वादी/प्रार्थी ने अपनी मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में भी छत्रपाल को घटना में शामिल होना बताया गया है तथा साक्षी नं० 2 संदीप पुत्र तेजपाल ने अपनी मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में भी अभियुक्त छत्रपाल का घटना में होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त छत्रपाल को अभियुक्त बनाकार तलब किया जाना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है। साक्ष्य के रूप में उसके द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे की पेन ड्राइव साक्ष्य के रूप में प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि उक्त सक्ष परीक्षण वाद में अभियुक्त छत्रपाल पुत्र रामभूल निवासी ग्राम मांछीपुर थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर को अभियुक्त बनाकर तलब किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त अमित की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का भी अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 14A अंतर्गत धारा 358(1) BNSS वादी मुकदमा तेजपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत कर अभियुक्त छत्रपाल पुत्र रामभूल को विचारण हेतु तलब किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। जिसे सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रसारित किया गया है। वादी का कथन है कि घटना में शामिल छत्रपाल को भी उसने नामित कराया था। जिसे विवेचक ने अभियुक्त से साज करके निकाल दिया है। घटना में अभियुक्त छत्रपाल भी शामिल था। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी तेजपाल सिंह द्वारा दिनांक 27.07.2024 को समय 8 बजे सुबह की घटना में अभियुक्त अमित के अतिरिक्त छत्तरपाल पुत्र रामभूल की भी संलिप्पता का उल्लेख किया गया है कि जनरेटर ठीक कराने को कहकर उक्त लोग अपने साथ प्रार्थी के पुत्र को ले गये। जिसे संदीप व रोहित ने देखा तथा रास्ते में शराब में कुछ मिलाकर व अत्यधिक शराब पिलाकर बेहोश कर मराउ हालत में जंगल में फेंक दिया। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त अमित व छत्तरपाल के विरूद्व थाना खुर्जा देहात में मु०अ०सं० 286/2024 अंतर्गत धारा 105 BNS 2023 पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान विवेचक साक्ष्य संकलित कर घटनास्थल का सी०सी०टी०वी० फुटेज के आधार पर अभियुक्त अमित के विरूद्व अपराध में शामिल होने का साक्ष्य पाया जबकि सी०सी०टी०वी० कैमरे की वीडियो फुटेज व

Additional Session Judge
Khuja, Bulandshahr

अन्य साक्ष्य के आधार पर नामिल छत्तरपाल का शामिल होना नहीं पाया गया। जिस कारण उसका नाम पृथक किया गया। विवेचक के द्वारा अभियुक्त छत्तरपाल के बयान भी अंकित किये गये हैं। जिसने स्वयं मृतक प्रशांत के साथ नेहरूपुर आकर समय करीब 9.30 बजे शराब पीना स्वीकार किया है तथा यह कहा है कि प्रशांत ने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है तो अमित उसे वहीं छोडकर मृतक प्रशांत को मोटरसाइकिल पर लेकर चला गया और वह रामकुमार के ट्रैक्टर पर बैठकर अपने घर आ गया। फिर शाम को 4.00 बजे प्रशांत के पिता ने उसकी मौत होना बताया। यही कथन साक्षी रामकुमार के द्वारा भी विवेचक के समक्ष किये गये हैं कि छत्तरपाल उसके ट्रैक्टर पर बैठकर आया तथा उसने उसे उसके गांव जाने वाले बम्बे के रास्ते पर उतार दिया तथा रिंकू द्वारा भी उक्त् कथनों का समर्थन किया गया है। किन्तु यदि केस डायरी में दर्ज साक्षी महादेव पुत्र ओमप्रकाश के बयानों को देखा जाये तो उसके द्वारा बताया गया है कि सुबह 9.00-9.15 बजे वह धरपा शराब की दुकान पर अपना ठेला लगाये खडा था तो अमित व प्रशांत व एक अन्य लड़का जो माछीपुर का रहने वाला है, तीनो मोटरसाइकिल से आये तीनो मेरे पास आकर रूके तीनो शराब के नशे में थे, अमित व प्रशांत ज्यादा नशे में थे। कुछ देर बाद अमित ने उसके ठेले से केले लिये व बिना पैसे दिये ही प्रशांत को मोटरसाइकिल पर बैठाकर धरपा अंडरपास के नीचे से तेजी से चले गये। कुछ 10-12 मिनट बाद दोनो के साथ में आये, जिसका नाम छत्रपाल था वहीं रूक गया व मुझसे बात करने लगा व कहने लगा दोनो मुझे बिना बताये छोड़कर चले गये हैं। मेरे सामने अमित प्रशांत को मोटरसाइकिल से लेकर चला गया तथा छत्रपाल वहीं खडा रहा। कुछ देर बाद वह रिंकू की मोटरसाइकिल से चला गया। साक्षी हरवीर ने भी बताया है कि तीनो ने उसकी दुकान से शराब ली व बाहर बैठकर पी थी उसके बाद तीनो चले गये थे। साक्षी संदीप ने विवेचक को दिये बयानों में अमित व प्रशांत को ही मजार के पास देखना कहा है जहां अमित व प्रशान्त में धक्का मुक्की हो रही थी एवं अमित द्वारा ही धक्का मारना कहा है तथा छत्रपाल द्वारा पहले ही छोड़कर चला जाना बताया है। उक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर विवेचक ने अभियुक्त छत्रपाल की घटना में संलिप्पता नहीं पायी गयी। विवेचक द्वारा सी०सी०टी०वी० फुटेज भी संलग्न की गयी है।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना को न्यायालय द्वारा साक्षी महादेव की साक्ष्य के उपरांत निस्तारित किये जाने का आदेश दिनांक 01.07.2025 को दिया गया। दिनांक 19.07.2025 को साक्षी पी०डब्लू० 3 महादेव की साक्ष्य अंकित हो चुकी है। अभियोजन कथानक व प्रस्तुत साक्ष्य से दर्शित होता है कि वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। बल्कि साक्षीगण संदीप को चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है। जिसकी साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है। अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1 तेजपाल सिंह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरे घर पर अमित और छत्रपाल आये। अमित और छत्रपाल कहने लगे कि जनरेटर ठीक करने के लिए चलना है। उसके बाद मैं, प्रशान्त, अमित, छत्रपाल जनरेटर ठीकर करने खुर्जा चले गये। जनरेटर ठीक न करने के बजाय ये लोग नेहरूपुर शराब के ठेके पर चले गये। वहाँ जाकर इन्होंने शराब पी थी और आपस में इन्होंने मारपीट करी। इन लोगों ने प्रशान्त के साथ अमित व छत्रपाल को झगड़ा करते मारपीट करते हुए देखा था। संदीप ने इन लोगों का पीछा किया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि इन तीनो ने नेहरूपुर शराब ठेके पर खूब जमकर शराब पी थी। मेरे लड़के के साथ अमित व छत्रपाल ने मारपीट की थी। मारपीट के समय मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। मुझे पता नहीं है कि मेरे लड़के प्रशान्त के साथ इन्होंने किस हथियार (जैसे लाठी डन्डा) से मारपीट की थी। मारपीट करते संदीप ने देखा था, मैने मारपीट करते नहीं देखा था। वहाँ पर इन तीनों ने मारपीट की थी या नहीं, मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। घटनास्थल पर घटना घटित होने के संबंध में किसी ने कुछ नहीं बताया था। इस प्रकार से दर्शित होता है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 तेजपाल चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है परन्तु जैसा उसके पुत्र संदीप ने उसे बताया उसी अनुसार उसके द्वारा घटना के बाबत कथन किये गये हैं।

Additional Session Judge
Khuja, Bulandshahr

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 साक्षी संदीप उर्फ राहुल ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि इस घटना का मृतक प्रशान्त मेरा बड़ा भाई लगता था। मेरा भाई प्रशान्त जनरेटर ठीक करने का मिस्त्री था। मैं उस समय अपने भाई प्रशान्त के साथ उस समय घर पर था और मेरे मम्मी, पापा भी थे। ये लोग जनरेटर ठीक न करने जाकर, नेहरूपुर चुंगी पर शराब के ठेके पर पहुँच गये थे। मैने इनको साढ़े आठ बजे नेहरूपुर चुंगी पर अपने भाई प्रशान्त के साथ छत्रपाल व अमित को धक्का-मुक्की करते हुये देखा था। मैने पहली बार इग्नोर कर दिया था कि ये आपस में दोस्त है। ये आपस में हंसी मजाक कर रहे होंगे। मैने रोहित को नेहरूपुर चुंगी पर छोड़कर यह कहकर कि तू ट्यूशन चला जा। मैं अकेला वापस लौटा था। मैने अपनी बाइक लेकर इनका पीछा किया। अमित पुत्र सुरेश व छत्रपाल पुत्र रामभूल ने मेरे भाई को बाइक से धक्का दिया था। मैने इनको धक्का देते बाइक से देखा था। मैं इनके पीछे आ रहा था। जब मैं बाइक लेकर अपने भाई के पास पहुंचा तो अमित व छत्रपाल बाइक लेकर वहां से चले गये थे। साक्षी पी०डब्लू० 2 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैने नेहरूपुर चुंगी पर तीनों को शराब के ठेके पर देखा था। मैने अमित व छत्रपाल को अपने भाई के साथ मारपीट करते हुये नहीं देखा था। जब ये लोग मेरे भाई को पीर-मजार के पास छोड़कर गये। उस समय में पीछे मौजूद था। मेरे भाई को उन्होंने चलती बाइक से धक्का दिया था। मुझे वह समय ध्यान नहीं है जिस समय मैने अपने भाई को बेहोश देखा था। अमित व छत्रपाल शराब पीते हैं मैने इनको शराब पीते कई बार देखा है। इस प्रकार से साक्षी पी०डब्लू० 2 के बयानों के अवलोकन से दर्शित होता है कि उसने मृतक को अमित व छत्रपाल के साथ देखा, तथा बाइक से धक्का देकर गिराते भी देखा, क्योंकि वह ट्यूशन जाने के दौरान नेहरूपुर चुंगी पर प्रशान्त के साथ धक्का मुक्की करते देखने पर अपनी बाइक से उनके पीछे ही था। हालांकि प्रशान्त के साथ मारपीट करते हुये देखने से साक्षी ने मना किया है। इस साक्षी के बयानों से विवेचना के दौरान प्राप्त यह साक्ष्य कि छत्रपाल, महादेव के ठेला में रूक गया था और अमित व प्रशान्त मोटरसाइकिल से चले गये थे, इस स्तर पर असत्य दर्शित होता है।

साक्षी पी०डब्लू० 3 महादेव ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.04.2024 को अमित, छत्रपाल व प्रशान्त मेरे फल के ठेले पर आये थे। मैं, अमित, छत्रपाल व प्रशान्त को पहले से जानता था। ये लोग पहले से मेरे फल के ठेले पर आते रहते थे और छत्रपाल जनरेटर का काम करते है, ये तीनों मेरे ठेले पर बाइक से आये थे। ये पीकर आये थे। अमित ने मेरे ठेले से केले लिये थे। ये मेरे पास करीब दस मिनट रूके थे। अमित बाइक चला रहा था। छत्रपाल व प्रशान्त बाइक पर पीछे बैठे थे। ये लोग उस दिन मेरे पास समय नौ सवा नौ बजे ठेले पर आये थे। मेरे ठेले से जाने के बाद ये तीनो लोग कहाँ पर चले गये, मुझे कुछ पता नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जब ये तीनों मेरे पास आये थे, तब तीनों ने शराब पी रखी थी। प्रशान्त ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। प्रशान्त से चला भी नहीं जा रहा था। मेरे ठेले से ये तीनों लोग एक साथ ही गये थे। ये लोग मुझे एक साथ जाते हुये करीब सौ मीटर तक दिखायी दिये थे। न्यायालय द्वारा पूछने पर इस साक्षी ने बताया कि मेरे ठेले से जाने के बाद ये तीनो ठेले की तरफ लौटकर नहीं आये थे। इस प्रकार इस गवाह के बयानों से भी इस स्तर पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसके ठेले पर तीनो शराब के नशे में आये थे व केले लिये थे फिर तीनो एक साथ ही बाइक से गये थे व लौटकर नहीं आये थे। ऐसी स्थिति में इस गवाह का केस डायरी में अंकित बयान कि उसके ठेले से अमित व मृतक छत्रपाल को छोडकर एक साथ गये थे और छत्रपाल बाद में रिंकू की मोटरसाइकिल से गया था, गलत दर्शित होता है। उक्त समस्त साक्ष्य से इस स्तर पर यह दर्शित होता है कि मृतक, अभियुक्त अमित व छत्रपाल तीनो एक साथ घटना वाले दिन शराब के नशे में थे व नेहरूपुर से शराब पीकर महादेव के ठेले की दुकान पर भी आये थे और वहां से एक साथ बाइक पर गये थे। साक्ष्य से इस स्तर पर छत्रपाल की मौजूदगी मृतक के शव मिलने वाले स्थान पर भी होती है।

Additional Session Judge
Khuja, Bulandshahr

अभियोजन द्वारा इस स्तर पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उससे प्रस्तावित अभियुक्त छत्रपाल की घटना कारित करने में मौजूदगी व संलिप्तता दर्शित हो रही है।

धारा 319 दं०प्र०सं० का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसमें अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करने की न्यायालय को शक्ति प्रदान की गयी है। **धारा 358(1) BNSS/धारा 319 दं०प्र०सं०** के अनुसार "जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्व उस अपराध के लिये जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।" इस प्रकार धारा-319 दं०प्र०सं० से दर्शित होता है कि विचारण के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को यदि यह प्रतीत भी होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए उसे विचारण किये जा रहे अभियुक्त के साथ विचारित किया जा सकता हो तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए भी कार्यवाही कर सकता है तथा यह कार्यवाही साक्षी की मात्र मुख्यपरीक्षा के आधार पर भी की जा सकती है। लीडिंग केस **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 SCC 92** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 319 दं०प्र०सं० के संबंध में विस्तृत रूप से विधिक सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि The power under Section 319 Cr.P.C. can be exercised only on the basis of the evidence adduced before the court during a trial. It is, therefore, clear that the word “evidence” in Section 319 Cr.P.C. means only such evidence as is made before the court, in relation to statements, and as produced before the court, in relation to documents. It is only such evidence that can be taken into account by the Magistrate or the Court to decide whether power under Section 319 Cr.P.C. is to be exercised and not on the basis of material collected during investigation. it is not necessary for the court to wait until the entire evidence is collected,” for exercising the said power. Thus, in view of the above, we hold that power under Section 319 Cr.P.C. can be exercised at the stage of completion of examination in chief and court does not need to wait till the said evidence is tested on cross-examination for it is the satisfaction of the court which can be gathered from the reasons recorded by the court, in respect of complicity of some other person(s), not facing the trial in the offence.

Power under Section 319 Cr.P.C. is a discretionary and an extra- ordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. It is not to be exercised because the Magistrate or the Sessions Judge is of the opinion that some other person may also be guilty of committing that offence. Only where strong and cogent evidence occurs against a person from the evidence led before the court that such power should be exercised and not in a casual and cavalier manner.

विधि व्यवस्था **अमर सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र०राज्य एवं एक अन्य, 2008 (60) ACC 118** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि इस धारा के अधीन शक्ति वैवेकिक है, उसका प्रयोग दाण्डिक न्याय प्राप्त करने के लिये किया जाना चाहिये। इसी प्रकार विधि व्यवस्था **गिरीश यादव बनाम म०प्र०राज्य (1996) Cr.L.J. 2159 (SC)** में यह विधिक दृष्टान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि चक्षुदर्शी साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के बाद कुछ अन्य व्यक्ति अपराध कारित किये जाने में अन्तर्लिप्त पाये गये हों, तो उनके विरूद्व आदेशिका जारी किया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त अद्यतन विधि व्यवस्था **क्रिमिनल अपील नं० 3008/2025 शिव बरन बनाम राजेन्द्र प्रसाद यादव व अन्य, निर्णीत दिनांक 16.07.2025** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि Trial courts can summon accused even if not Chargesheeted if trial evidence indicates their complicity of the prospective accused, it become obligatory for the authority to exercise the power provided under the said section. इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था **क्रिमिनल अपील नं० 813/2019 राजेश व अन्य बनाम हरियाणा राज्य**, **निर्णीत दिनांक 01.05.2019** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टान्त दिया गया कि Section 319

Additional Session Judge
Khuja, Bulandshahr

Cr.P.C.-Persons named in FIR, But not Chargesheeted can be summoned even if stage of protest petition is over. A trial court can summon u/s 319 Crpc, those persons named in FIR, but who were not Chargesheeted, even if the stage of giving opportunity to the complainant to file a protest petition is over. इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसके विरूद्ध आरोप पत्र नहीं आया है, विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर संलिप्तता प्रतीत होने के आधार पर भी विचारण हेतु तलब किया जा सकता है। इस स्तर पर यह नहीं देखना है कि उसकी दोषसिद्धि हेतु साक्ष्य है अथवा नहीं। मात्र दोषी प्रतीत होने पर भी उसे विचारित किये जा रहे अभियुक्त के साथ विचारण हेतु तलब किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रस्तावित अभियुक्त छत्रपाल के विरूद्ध इस स्तर पर मजबूत और ठोस साक्ष्य उपलब्ध है जिससे उसकी अभियुक्त अमित के साथ अपराध में संलिप्तता की पुष्टि होती है तथा इस हेतु उसका सह अभियुक्त अमित के साथ विचारण किया जा सकता है। हालांकि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना उसका नाम विवेचना से पृथक कर दिया गया है और उसकी संलिप्तता नहीं पायी है। किन्तु धारा 319 दं०प्र०सं० के स्तर पर विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर ही भरोसा किया जा सकता है तथा इस धारा के तहत एकमात्र साक्षी की मुख्यपरीक्षा पर भी विचार कर न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त की जो मामले में अभियुक्त नहीं है संलिप्तता पाये जाने पर उसे विचारण हेतु आहूत कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित अभियुक्त छत्रपाल की वादी के पुत्र प्रशान्त के हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध में संलिप्तता ठोस रूप से दर्शित हो रही है। जिस हेतु उसे अभियुक्त अमित के साथ विचारण के हेतु तलब किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसी दशा में समस्त तथ्यों व विधिक प्रावधानों के प्रकाश में न्यायालय के मत में वादी/अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14A अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं०/धारा 358(1) BNSS स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी मुकदमा तेजपाल सिंह/अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14A अंतर्गत धारा 358(1) BNSS/धारा 319 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त छत्रपाल पुत्र रामभूल को धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध में बजरिये समन तलब किया जाता है। अभियुक्त छत्रपाल को समन जारी हो। पत्रावली दिनांक 12.12.2025 को हाजिरी मुल्जिम हेतु पेश हो।

दिनांक: 24.11.2025

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)।
J.O. CODE- UP 1674

Steno- Mohd Afsan

Additional Session Judge
Khuja, Bulandshahr

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.11.24 11:52:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court